न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/498

मिसल नम्बर– 114 / 2022

1.अब्दुल रहमान आत्मज इब्राहिम आयु 73 वर्ष जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 202 श्याम नगर गली नं0 4 रावतभाटा रोड़, कोटा राज0

2.कमरूनिशा पत्नी अब्दुल रहमान आयु 65 वर्ष जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 202 श्याम नगर गली नं0 4 रावतभाटा रोड़ कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.शफीकुरूर्रहमान आत्मज अब्दुल रहमान आयु 38 वर्ष जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 202 श्याम नगर गली नं0 4 रावतभाटा रोड़ कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 1/7/25

उपस्थितिः–

1.श्री अनमोल बैरवा प्रार्थीगण अधिवक्ता।

2.श्री लक्ष्मण सिंह हाड़ा अप्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण दोनो वरिष्ठ नागरिक है तथा प्रार्थी क्रम 1 की आयु 73 वर्ष तथा प्रार्थीया क्रम 2 की आयु 65 वर्ष है। दोनो प्रार्थीगण वृद्ध एवं बीमार है तथा प्रार्थी क्रम 1 के मालिकाना स्वामित्व का एक मकान नं. 202, श्याम नगर, गली नं. 4, रावतभाटा रोड़, कोटा (राज.) जिसकी पैमाईश 31 इंटू 50 कुल 1550 वर्गफुट है। जो कि प्रार्थी क्रम 1 द्वारा दिनांक 18.01.2010 को जरिये इकरारनामा, मुख्तारनामा, वसीयतनामा नोटरी तस्दीक कर श्री विकास पचवारिया आत्मज ओम प्रकाश पचवारिया निवासी मकान नं. 400, श्याम नगर, रावतभाटा रोड़, कोटा (राज) वाले से भूखण्ड क्रय किया गया था तथा प्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त भूखण्ड क्रय करने के पश्चात अपने उक्त भूखण्ड पर भूतल व प्रथम तल पर स्वयं द्वारा निर्माण करवाया गया। जिसमें कि प्रार्थीगण निवास कर रहे है। प्रार्थी क्रम 1 के उक्त मकान में प्रार्थी क्रम 1 की सहमति से भूतल पर प्रार्थीगण स्वयं व प्रार्थीगणों का छोटा पुत्र नईम अपने परिवार सहित निवास करता है तथा प्रार्थी क्रम 1 के उक्त मकान में प्रथम तल पर प्रार्थीगणों का मझला पुत्र अप्रार्थी शफीकुरूर्रहमान अपने परिवार सहित निवास करता है तथा अप्रार्थी ने विवाह पश्चात से ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रार्थीगणों के साथ आये दिन लडाई झगडा कर अपमानित करने का कृत्य कारित किया जाता रहा है तथा अप्रार्थी जो कि प्रार्थी क्रम 1 का मझला पुत्र है चुंकि प्रार्थी क्रम 1 जलदाय विभाग में सरकारी कर्मचारी था तथा प्रार्थी क्रम 1 रिटायरमेन्ट के पश्चात बीमार होने के चलते प्रार्थीगणों की दवाई डायरी व पेंशन से सम्बन्धित समस्त असल दस्तावेजात जिनमें प्रार्थी क्रम 1 पीपीओ (पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर) ऑर्डर के मूल दस्तावेज व प्रार्थी क्रम 1 के नाम की भारत गैस जिसका डिलर अरविन्द गैस एजेन्सी है कि असल पास बुक व प्रार्थी क्रम 1 के मालिकाना स्वामित्व के मकान नं. 202, श्याम नगर, रातवभाटा रोड़, कोटा के समस्त असल दस्तावेजात जिनमें इकरारनामा, मुख्तारनामा, वसीयतनामा मय नक्शा प्रार्थी क्रम 1 द्वारा अप्रार्थी के पास रखवा रखे थे ताकि प्रार्थीगणों की बीमारी व चलने फिरने में असमर्थ होने

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

व अपने काम, स्वयं नही करने के कारण उक्त समस्त असल दस्तावेज अप्रार्थी के सुपुर्द कर रखे थे कि अप्रार्थी वक्त जरूरत संबंधित कामों को पूर्ण कर सके। लेकिन अप्रार्थी के विवाह पश्चात से ही अप्रार्थी का व्यवहार प्रार्थीगणों के प्रति क्रूरतम होता चला गया जिसके चलते अप्रार्थी अपनी पत्नी सहित आये दिन प्रार्थीगणों के साथ लडाई झगडा, गाली–गलौच व मारपीट करने पर उतारू होने लगा जिसकी प्रार्थीगणों द्वारा कई मर्तबा थाना आर. के.पुरम शिकायत भी दी गई जिस पर थाना आर.के. पुरम द्वारा प्रार्थीगणों की रिपोर्ट ना लिखकर थाने में ही अप्रार्थी को समझाकर व चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगणों के साथ अभद्र व्यवहार कर लडाई झगडे करने का कृत्य निरन्त कारित किया जाता रहा जिससे प्रार्थीगण अत्यन्त परेशान व दुखी रहने लगे। दोनो प्रार्थीगण वृद्ध व बीमार है प्रार्थी क्रम 1 स्वयं हदय रोगी व माईग्रेन रोग व पेशाब के रोग से पीडित है जिसकी दवाईया निरन्तर चल रही है तथा प्रार्थी क्रम 2 थाईराईड रोग व माईग्रेन रोग से ग्रसित है। जिसकी दवाईयाँ निरन्तर चल रही है। उसके उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगणों के साथ लडाई झंगडा तथा अभद्र व्यवहार कर क्रूरतम व्यवहार कारित किया जाता रहा जिससे प्रार्थीगण काफी मानसिक तनाव में होने से प्रार्थीगणों की तबियत भी और ज्यादा खराब रहने लगी है। प्रार्थीगणों को अब अपने पुत्र अप्रार्थी पर भरोसा व विश्वास नही रहने से प्रार्थीगणों द्वारा अप्रार्थी से अपने मकान के असल दस्तावेजात व असल पीपीओ ऑर्डर व भारत गैस कनेक्शन की असल डायरी आदि असल दस्तावेजो की मांग करने पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगणों के उक्त समस्त असल दस्तावेजों को प्रार्थीगणों को सुर्पुद करने से साफ इन्कार कर दिया साथ ही अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगणों को धमकी दी गई कि अगर प्रार्थीगणों द्वारा अप्रार्थी से उक्त समस्त असल दस्तावेजों की मांग की गई या मांग बाबत कोई कानूनी कार्यवाही की गई तो अप्रार्थी अपनी पत्नी के माध्यम से दहेज के मिथ्या प्रकरण में प्रार्थीगणों के विरूद्ध दर्ज करवाकर प्रार्थीगणों को बुढापे में जेल की हवा खिलवाने बाबत निरन्तर धमकियों देता चला आ रहा है। जिससे प्रार्थीगण काफी सदमें में है तथा अप्रार्थी का क्रूरतम अत्याचार प्रार्थीगणों पर निरन्तर जारी है। अप्रार्थी के प्रार्थीगणों का पुत्र होने के उपरान्त भी अपने माता पिता प्रार्थीगणों के विरूद्ध क्रूरतम व्यवहार कारित करने का आपराधिक कृ त्य कारित किया जा रहा है। जिसके चलते प्रार्थीगण अप्रार्थी को अब किसी भी अवस्था में प्रार्थी क्रम 1 के मालिकाना स्वामित्व के मकान नं. 202, श्याम रावतभाटा रोड़, कोटा मे निवास करने नही देना चाहते है अर्थात प्रार्थी 1 अपने उक्त मकान से अप्रार्थी को उसके परिवार सहित निकालकर उक्त परिसर का कब्जा स्वयं लेना चाहता है। जिसका की प्रार्थीगणों को विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगणों के उक्त मकान में अप्रार्थी अपने परिवार सहित प्रार्थीगणों की सहमति से ही निवास कर रहा है तथा वर्तमान में अप्रार्थी के प्रार्थीगणों के साथ क्रूरतम व्यवहार कारित करने की अवस्था में प्रार्थीगणों को अप्रार्थी से अपनी जानमाल का खतरा बना हुआ है इस कारण प्रार्थीगणो के मकान में अप्रार्थी का निवास करना संभव नही रहा है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी से परेशान होकर अब अप्रार्थी को अपने उक्त मकान में निवास नही करने देना चाहते है साथ ही प्रार्थी क्रम 1 के स्वामित्व के मकान के असल दस्तावेजात व पीपीओ ऑर्डर व भारत गैस की असल डायरी जो कि अप्रार्थी द्वारा बेईमानी व छल स्वरूप अवैध रूप से अपने कब्जे में कर रखे है। उक्त समस्त असल दस्तावेज भी प्रार्थी क्रम 1 अप्रार्थी से प्राप्त करने का अधिकारी है। जिन्हे अप्रार्थी के कब्जे से प्रार्थीगणों को दिलवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगणों के पास माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी क्रम 1 के मकान से अप्रार्थी निवासरत परिसर से अप्रार्थी को बेदखल कर उक्त परिसर का कब्जा प्रार्थी क्रम 1 को दिलवाया जावे व अप्रार्थी के कब्जे से प्रार्थी क्रम 1 के स्वामित्व के मकान के समस्त असल दस्तावेजात व पीपीओ और्डर व भारत गैस की असल डायरी को भी अप्रार्थी से दिलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। अन्यथा अप्रार्थी, प्रार्थी क्रम 1 के उक्त असल दस्तावेजों का दुरूपयोग कर प्रार्थीगणों को हानि पहुंचाने की पूर्ण संभावना है, साथ ही अप्रार्थी को प्रार्थी क्रम 1 के मकान से बेदखल किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है वर्ना अप्रार्थी के क्रूरतम व्यवहार से व्यथीत होकर प्रार्थीगणों की जान भी जा सकता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी क्रम 1 के मालिकाना स्वामित्व के मकान जिसके प्रथम तल अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

निवासरत है उक्त परिसर का कब्जा अप्रार्थी से प्रार्थी क्रम 1 को सुपुर्द करवाया जावे साथ ही प्रार्थी क्रम 1 के मालिकाना स्वामित्व के मकान के समस्त असल दस्तावेजात व पीपीओ ऑर्डर व भारत गैस कनेक्शन की असल पास बुक आदि भी जो कि वर्तमान में अप्रार्थी के कब्जे में है को अप्रार्थी से प्रार्थीगण को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में लिखित मकान सं. 202 श्याम नगर गली नं. 4 रावतभाटा रोड कोटा का भूखण्ड प्रार्थी कम– 1 द्वारा कय करना स्वीकार है जिस पर भूतल व प्रथम तल पर निर्माण प्रार्थीगण द्वारा करवाया जाना अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी ने उक्त भूखण्ड पर स्थित दोनो तलो का निर्माण स्वयं का शिवपुरा स्थित निजि मकान व नन्दनी नगर का प्लाट बेचकर एवं अपनी स्वअर्जित आय से करवाया है। प्रार्थना पत्र में लिखित भूतल पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का छोटा पुत्र नईम का परिवार सहित निवास करना स्वीकार है। उक्त मकान के प्रथम तल पर अप्रार्थी अपने जीजाजी व अपनी बहन अंजुम बानो के साथ निवास करता है। चुंकि अप्रार्थी ने अपना धर्म परिवर्तन कर हिन्दु रीति रिवाज से एक हिन्दु लडकी सुनीता सुमन से विधिवत विवाह किया था जिसे प्रार्थीगण द्वारा उक्त मकान मे रहने नहीं दिया गया और वह अप्रार्थी को छोड कर चली गई। अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थीगण से लडाई झगडा कर अपमानित करने का कृत्य नहीं किया है प्रार्थीगण अप्रार्थी से उसके द्वारा हिन्दू धर्म परिवर्तन करने के कारण व हिन्दु लड़की से विवाह करने के कारण रंजिश रखते है। अप्रार्थी शुरू से प्रार्थी कम–1 के अन्य दो पुत्र (नईमुरहमान व हबीबुर्रहमान) होने के पश्चात भी स्वयं अकेला ही प्रार्थीगण की सेवा व देखभाल करता आ रहा है प्रार्थीगण को 2016 में ही अप्रार्थी ने असल मेडिकल डायरी उपभोक्ता भण्डार पर कार्यरत विनोद नेनानी के जरिये प्रार्थी कम 1 को सम्भला दी थी, जिसके पश्चात से ही प्रार्थी कम 1 आज तक अपनी दवाईयां विनोद नेनानी जो कि उपभोक्ता भण्डार पर काम करते हैं के जरिये प्राप्त करते चले आ रहे है। गेस कनेक्शन 2016 में ही अप्रार्थी ने भारत गैस जिसका डीलर अरविन्द गैस ऐजेसी है की असल पास बुक भी प्रार्थी कम 1 को मांगने पर सभला दी है इसके पश्चात अप्रार्थी द्वारा अपना स्वयं का गैस कनेक्शन हिन्दुस्तान पे० (एच पी) जिसका वितरक हाडौती गैस कंपनी है स्वयं द्वारा कय किया गया जिसकी पास बुक की फोटो प्रतिलिपि सलग्न है। इस प्रकार आज भी अप्रार्थी अपनी गैस की डायरी से समय समय पर गैस एच पी सिलेन्डर प्राप्त करता चला आ रहा है अप्रार्थी प्रार्थी कम 1 का पेन्शन जीवन प्रमाण पत्र या पेन्शन से सम्बन्धित समस्त कार्य व घरेलु सम्बन्धित समस्त कार्य करता था, जिसके बाद 2016 से असल पेन्शन डायरी व गैस कनेक्शन असल पास बुक आदि आदि प्रार्थी कम–1 को अप्रार्थी संभला चुका है पी पी ओ प्रमाण पत्र आज भी अप्रार्थी के पास सुरक्षित है जिसे अप्रार्थी प्रार्थी को सम्भलाने को तत्पर है परंतु प्रार्थी कम 1 द्वारा पूर्व में कभी भी अप्रार्थी से पी पी ओ की मांग नहीं की गई है एवं प्रार्थी कम 1 जलदाय विभाग में सरकारी कर्मचारी के रूप मे कारपेन्टर के पद पर कार्यरत था जहा से आज भी प्रार्थी कम 1 स्वयं की बैंक पास बुक के आधार पर हर माह 25 से 30 हजार रूपये पेन्शन प्राप्त कर रहा है। प्रार्थी कम 1 व 2 सन् 1990–95 से माइग्रेन के मरीज है जिसे प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया है और इस कारण मानसिक बिमारी की वजह से भूलने की आदत रही है जिसकी वजह से प्रार्थीगण अप्रार्थी पर अर्नगल आरोप लगाते रहते है मकान नंबर 202 श्याम नगर गली नंबर–4 रावतभाटा रोड़ कोटा के असल दरस्तावेज इकरार नामा मुख्तार नामा व वसीयत नामा मय नक्शे का प्रश्न है उन्हे प्रार्थी कम 1 द्वारा 3,00,000/–रूपये अक्षरे तीन लाख रूपये बतौर कर्जा सययैद अली वल्द सिदिदिक अली जाति मुसलमान, निवासी साजीदेहडा नगर निगम कम्पलेक्स के पीछे, किशोरपुरा थाना के पास, कोटा के पास असल दस्तावेज रहन कर रखे है जिन्हे प्रार्थी कम–1 श्री सैय्यद अली को उधार ली राशि 300.,000/–रूपया चुकाकर प्राप्त कर सकता है जिससे अप्रार्थी का कोई लेना–देना नहीं है अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगणो के भूखण्ड का निर्माण कराने में 15,00,000/–रूपया के लगभग अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये खर्च किये गये थे, जिसकी मांग करने पर प्रार्थीगण ने 15,00,000/–रूपया

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
को

की राशि को लोटाने से साफ मना कर दिया और प्रार्थीगण व छोटे पुत्र नईमुर्रहमान व पुत्री अंजुम बानो ने मिलकर धमकी दी कि अगर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगणो से निर्माण राशि 15,00,000/–रूपया की मांग की गई या इस बाबत कोई कानूनी कार्यवाही की तो प्रार्थीगण अप्रार्थी के विरूद्ध थाने में मिथ्या प्रकरण दर्ज करवाकर जेल भिजवा देंगे। और इस आशय की कई शिकायतें आरकेपुरम थाने में प्रार्थीगण व परिवार के अन्य सदस्यो के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज करवाने की कोशिश की गई ताकी अप्रार्थी परेशान व विवश होकर मकान को छोड कर चला जाये। प्रार्थना पत्र में लिखित प्रार्थीगण के साथ कूरतम व्यवहार का आक्षेप अस्वीकार है। अप्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय व निजि सम्पत्ति (मकान व भूखण्ड) को बेचकर उक्त भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवाया है व अपने माता पिता की सेवा सुश्रुषा करता चला आ रहा है। प्रार्थीगणो के अन्य दो पुत्र (नईमुरहमान व हबीबुरहमान) होने के पश्चात भी अप्रार्थी ने अपने माता पिता प्रार्थीगण की समस्त आवश्यकताओं (दवाईयां दूध, परचूनी का सामान, समय समय पर वस्त्र व अन्य) तथा घर के समस्त खर्चो को बडी जिम्मेदारी के साथ स्वयं ने अकेले ही वहन किया है और अपनी जिम्मेदारीयों व अपने कर्तव्यो से कभी भी मुंह नहीं मोडा है। प्रार्थीगण अपने अन्य दोनो पुत्र नईमुर्रहमान व हबीबुर्रहमान) तथा पुत्री अजुंम बानो के बहकावे मे आकर अप्रार्थी को घर से निकालने पर आमादा है। प्रार्थना पत्र मे चाही गई प्रार्थना अस्वीकार है। प्रार्थीगण के नाम वाले भारत गेस कनेक्शन की असल पास बुक, असल मेडिकल डायरी अप्रार्थी प्रार्थीगणो को पूर्व में ही सम्भला चुका है एवं मकान नबर 202 श्याम नगर गली न० 4 रावतभाटा रोड कोटा के मूल दस्तावेज इकरार नामा, मुख्तार नामा, वसीयत नामा एवं नक्शा दस्तावेज जो कि सय्यैद अली के यहां प्रार्थी क्रम –1 द्वारा कर्ज लेकर रहन रखे हुये है जिन्हे कर्ज अदा कर सय्यैद अली से प्राप्त कर सकते है और प्रार्थी क्रम 1 का पी पी ओ की असल कापी आज भी अप्रार्थी सम्भलाने को तत्पर है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की। अप्रार्थी की ओर से फर्द दस्तावेज इकरारनामा, मुख्तारनामा, वसीयतनामा की फोटो कॉपी शिवपुरा स्थित में मकान को क्रय करने की, इकरारनामा, मुख्तारनामा, वसीयतनामा की फोटो कॉपी शिवपुरा स्थित में मकान को बेचान करने की, नंदिनी नगर रतकांकरा स्थित भूखण्ड का पट्टा रजिस्ट्री की फोटो कॉपी अप्रार्थी द्वारा क्रय किया गया, इस्तगासा फोटो कॉपी 116, 107 प्रार्थीगण द्वारा पेश किया व बयान प्रतिलिपी फोटोकॉपी, फोटोकॉपी गैस कनेक्शन की फोटो कॉपी अप्रार्थी के नाम, आर्य परिवार संस्था से जारी विवाह प्रमाण की फोटो कॉपी, मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी पेश की।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा कथन किया है कि प्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त भूखण्ड क्रय करने के पश्चात अपने उक्त भूखण्ड पर भूतल व प्रथम तल पर स्वयं द्वारा निर्माण करवाया गया। प्रार्थीगणों की दवाई डायरी व पेंशन से सम्बन्धित समस्त असल दस्तावेजात जिनमें प्रार्थी क्रम 1 पीपीओ (पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर) ऑर्डर के मूल दस्तावेज व प्रार्थी क्रम 1 के नाम की भारत गैस जिसका डिलर अरविन्द गैस एजेन्सी है कि असल पास बुक व प्रार्थी क्रम 1 के मालिकाना स्वामित्व के मकान नं. 202, श्याम नगर, रातवभाटा रोड़, कोटा के समस्त असल दस्तावेजात जिनमें इकरारनामा, मुख्तारनामा, वसीयतनामा मय नक्शा प्रार्थी क्रम 1 द्वारा अप्रार्थी के पास रखवा रखे थे ताकि प्रार्थीगणों की बीमारी व चलने फिरने में असमर्थ होने व अपने काम, स्वयं नही करने के कारण उक्त समस्त असल दस्तावेज अप्रार्थी के सुपुर्द कर रखे थे कि अप्रार्थी वक्त जरूरत संबंधित कामों को पूर्ण कर सके। प्रार्थीगण के उक्त कथन का खण्डन करते हुये अप्रार्थी की ओर से निवेदन किया है कि मकान नंबर 202 श्याम नगर गली नंबर–4 रावतभाटा रोड़ कोटा के इकरार नामा मुख्तार नामा व वसीयत नामा मय नक्शे के असल दरस्तावेज प्रार्थी क्रम 1 द्वारा 3,00,000/–रूपये अक्षरे तीन लाख रूपये बतौर कर्जा सययैद अली वल्द सिदिदिक अली जाति मुसलमान, निवासी

उपखण्ड अधिकारी
को

साजीदेहडा नगर निगम कम्पलेक्स के पीछे, किशोरपुरा थाना के पास, कोटा के पास असल दस्तावेज रहन कर रखे है जिन्हे प्रार्थी क्रम–1 श्री सैय्यद अली को उधार ली राशि 300,000/–रूपया चुकाकर प्राप्त कर सकता है। अपने उक्त कथन के समर्थन में अप्रार्थी की ओर से फर्द दस्तावेज इस्तगासा फोटो कॉपी 116, 107 पेश की है। उक्त इस्तगासे के साथ संलग्न सय्यैद अली वल्द सिद्दिक अली के बयान में यह कथन किया गया है कि मैं शफीकुरूर्रहमान आत्मज अब्दुल रहमान को लगभग 10–12 साल से जानता हूँ। ये दरगाह पर आते है। लगभग 2015 में शफीकुरूर्रहमान इनके पिता जी अब्दुल रहमान के साथ आये थे और इनको रूप्यों की आवश्यकता थी तो मुझसे कहा था तो मैने इनका काम चलाने के लिये 3 लाख रूप्ये दिये थे और 3 लाख की ऐवज में अब्दुल रहमान जी ने अपने मकान की फाईल व एक चैक दिया था किन्तु इन्होने आज तक मुझे पैसे नही लौटाये है। मकान श्याम नगर 202 में उपरी मंजिल का काम करवाने की ऐवज में लिये थे। उक्त मकान के कागजात मेरे पास रखे है मुझे मेररी रकम लौटो देते है तो मै उनके कागजात अब्दुल रहमान को वापस दे दुंगा। उक्त बयानों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी क्रम 1 के मकान के कागजात सैय्यद अली के गिरवी रखे हुये है जिसकी जानकारी प्रार्थी क्रम 1 को भी है परंतु इसके बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा उक्त मकान के दस्तावेज की मांग अप्रार्थी से की जा रही है तो उचित नही है। अप्रार्थी की ओर से पेश लिखित बहस में यह भी कथन किया गया है कि उक्त मकान का निर्माण अप्रार्थी द्वारा ठेकेदार रामकरण विश्वकर्मा पुत्र श्री मोतीलाल विश्वकर्मा द्वारा 180/– रूप्ये वर्गफीट से करवाया गया। उक्त मकान के निर्माण में होने वाला संपूर्ण खर्चा अप्रार्थी द्वारा वहन किया गया तथा ठेकेदार रामकरण विश्वकर्मा को लेबर का संपूर्ण खर्चा भी अप्रार्थी द्वारा ही वहन किया गया। इस्तगासे के साथ संलग्न रामकरण के बयान में कथन किया गया है कि मैने लगभग 2011 में मैने शफीकुरूर्रहमान से श्याम नगर स्थित मकान बनाने का ठेका लिया था लगभग 160/– रूप्ये वर्गफीट में किया था जिसकी दोनो मंजिल का निर्माण मैने ही किया था। लास्ट में कुछ काम पैसे नही होने की वजह से नही करवाया था। मुझे मेरे काम के पैसे बीच बीच में हर बार ही शफीकुरूर्रहमान ही पैसे देता था मैने शफीकुरूर्रहमान के पिता से भी पूछा था कि पैसे कौन देगा तो अब्दुल रहमान ने बताया कि शफीकुरूर्रहमान ही देगा। उसी ने काम कराया है। मुझे ठेका शफीकुरूर्रहमान ने दिया था। उक्त बयान के अवलोकन से अप्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर स्थित दोनो तलों का निर्माण स्वयं का शिवपुरा स्थित निजी मकान व नंदिनी नगर, रतकांकरा का प्लॉट बेचकर एवं अपनी स्वअर्जित आय से करवाने का जो कथन किया है वह उचित प्रतीत होता है। इसके अलावा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के साथ कुरतम व्यवहार, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को उपरोक्त वर्णित मकान 202 श्याम नगर गली नं0 4 रावतभाटा रोड़, कोटा राज0 से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया है कि प्रार्थी क्रम 1 का पीपीओ प्रमाण पत्र अप्रार्थी के पास है जिसे अप्रार्थी प्रार्थी क्रम 1 को सम्भलाने का तत्पर है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी क्रम 1 के मालिकाना स्वामित्व के मकान के समस्त असल दस्तावेजात व पीपीओ ऑर्डर व भारत गैस कनेक्शन की असल पास बुक आदि दस्तावेज जो भी अप्रार्थी के पास है, प्रार्थीगण को सम्भलाये।

उक्त निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा राजस्थान

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा